# पर्यावरण और जैव विविधता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और संगठन

| कन्वेंशन/संधि/संगठन/ सुविधाएँ | संक्षेप में वर्णन |
|---|---|
| **रामसर कन्वेंशन** | • अंतरसरकारी संधि।<br>• आर्द्रभूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए।<br>• इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है जहां 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे।<br>• यह 1975 से प्रभावी है।<br>• इसमें भारत सहित 172 अनुबंधित पार्टियाँ हैं।<br>• संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) इस कन्वेंशन के लिए डिपॉजिटरी के रूप में कार्य करता है।<br>• हर तीन साल में, अनुबंधित पार्टियों के प्रतिनिधि अनुबंधित पार्टियों के सम्मेलन (Conference of the Contracting Parties-COP) में मिलते हैं।<br>• सबसे हालिया COP14 2022 में चीन के वुहान में आयोजित किया गया था।<br>• रामसर कन्वेंशन छह अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठन भागीदार (International Organization Partners-IOPs) के रूप में जाना जाता है। ये हैं:<br>  ○ बर्डलाइफ़ इंटरनेशनल<br>  ○ अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)<br>  ○ अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (International Water Management Institute-IWMI)<br>  ○ वेटलैंड्स इंटरनेशनल<br>  ○ WWF इंटरनेशनल<br>  ○ वाइल्डफॉवल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट<br>• प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिह्नित करता है। |
| **मोंट्रेक्स रिकॉर्ड** | • आर्द्रभूमि स्थलों का एक रजिस्टर जहां प्रौद्योगिकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप पारिस्थितिक चरित्र में परिवर्तन हुए हैं, |

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

| | |
|---|---|
| | हो रहे हैं या होने की संभावना है।<br>• इसे रामसर सूची के भाग के रूप में बनाए रखा गया है। |
| **अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN)** | • प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में काम करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय संगठन।<br>• इसके कार्यों में डेटा एकत्रण और विश्लेषण, अनुसंधान, क्षेत्र की परियोजनाओं, वकालत, पैरवी और शिक्षा में शामिल हैं।<br>• स्थापित: अक्टूबर 1948, फॉनटेनब्लियू, फ्रांस<br>• मुख्यालय: ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड<br>• 1400 से अधिक सरकारी एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों की सदस्यता।<br>• IUCN को रेड लिस्ट को संकलित और प्रकाशित करने के लिए जाना जाता है, जो विश्व भर में प्रजातियों की संरक्षण स्थिति का आकलन करती है। |
| **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme (UNEP)** | • यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण गतिविधियों का प्रभारी है।<br>• यह विकासशील देशों को पर्यावरण के अनुकूल नीतियां बनाने और सतत विकास अपनाने में मदद करता है।<br>• इसकी शुरुआत जून 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणामस्वरूप हुई। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है।<br>• UNEP ने संभावित हानिकारक रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सीमा पार वायु प्रदूषण और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के संदूषण जैसे मुद्दों पर दिशानिर्देश और संधियाँ विकसित करने में मदद की है।<br>• विश्व मौसम विज्ञान संगठन और UNEP ने 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) की स्थापना की थी।<br>• यह वैश्विक पर्यावरण सुविधा के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है। |
| **प्रकृति के संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष (World Wide Fund for Nature-WWF)** | • प्रकृति के संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष 1961 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है।<br>• यह विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है जो 100 से अधिक देशों में काम कर रहा है।<br>• यह जंगल संरक्षण और पर्यावरण पर मानवता के प्रभाव को कम करने के क्षेत्र में काम करता है।<br>• इसे पहले विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife Fund) का नाम दिया गया था, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आधिकारिक नाम बना |

| | |
|---|---|
| | हुआ है।<br>• वर्तमान में, इसका कार्य इन छह क्षेत्रों के आसपास आयोजित किया जाता है: वन, समुद्र, ताज़ा पानी, वन्य जीवन, भोजन और जलवायु।<br>• यह 1998 से हर दो साल में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकाशित करता है और यह लिविंग प्लैनेट इंडेक्स और पारिस्थितिक पदचिह्न गणना पर आधारित है। |
| **बर्डलाइफ़ इंटरनेशनल** | • यह संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक साझेदारी है जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में स्थिरता की दिशा में लोगों के साथ काम करते हुए पक्षियों, उनके आवासों और वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण का प्रयास करती है।<br>• यह पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए विश्व की सबसे बड़ी संरक्षण साझेदारी है।<br>• इसने 13,000 से अधिक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्रों (Important Bird and Biodiversity Areas-IBAs) की पहचान और दस्तावेजीकरण किया है जो पक्षियों और अन्य जैव विविधता के संरक्षण के लिए वैश्विक महत्व के स्थान हैं।<br>• अंतर्राष्ट्रीय पक्षी संरक्षण परिषद की स्थापना 1922 में की गई थी और 1993 में इसका नाम बदलकर बर्डलाइफ इंटरनेशनल कर दिया गया।<br>• मुख्यालय: कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम<br>• भारतीय भागीदार: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (Bombay Natural History Society-BNHS)<br>• यह रामसर कन्वेंशन का एक भागीदार संगठन है।<br>• बर्डलाइफ इंटरनेशनल IUCN के लिए पक्षियों के लिए आधिकारिक रेड लिस्ट प्राधिकरण है। |
| **संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय** | • एक अमेरिकी गैर-लाभकारी पर्यावरण संगठन।<br>• मुख्यालय आर्लिंगटन, वर्जीनिया में है।<br>• 1987 से, इसने महासागरों, वनों और अन्य जीवित पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करके हर जगह लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया है।<br>• यह जैव विविधता हॉटस्पॉट की वैश्विक सूची संकलित और प्रकाशित करता है। |
| **स्टॉकहोम कन्वेंशन** | • मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को अनवरत् जैविक प्रदूषकों (persistent organic pollutants-POPs) से बचाने के लिए एक कानूनी रूप से |

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

| | |
|---|---|
| | बाध्यकारी वैश्विक संधि।<br>• इस पर 2001 में हस्ताक्षर किए गए और यह मई 2004 से प्रभावी हुआ।<br>• इसका उद्देश्य POPs के उत्पादन और उपयोग को खत्म करना या प्रतिबंधित करना है।<br>• POPs रासायनिक पदार्थ हैं जो पर्यावरण में बने रहते हैं, खाद्य जाल के माध्यम से जैव संचय करते हैं, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का जोखिम पैदा करते हैं।<br>  ○ प्राथमिकता वाले प्रदूषकों के इस समूह में कीटनाशक (जैसे DDT), औद्योगिक रसायन (जैसे पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफिनाइल, PCBs) और औद्योगिक प्रक्रियाओं के अनजाने उप-उत्पाद (जैसे डाइऑक्सिन और फ्यूरान) शामिल हैं।<br>• इस कन्वेंशन में 186 पार्टियाँ हैं (185 राज्य और यूरोपीय संघ)।<br>• भारत जनवरी 2006 में स्टॉकहोम कन्वेंशन का हिस्सा बना।<br>• वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए नामित अंतरिम वित्तीय तंत्र है। |
| **सिल्विया अर्ल / मिशन ब्लू** | • सिल्विया अर्ल एक अमेरिकी समुद्री जीवविज्ञानी हैं।<br>• 2009 में, उन्होंने मिशन ब्लू लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य विश्व भर में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (जिन्हें "होप स्पॉट" कहा जाता है) को स्थापित करना है।<br>• होप स्पॉट महासागर का एक क्षेत्र है जिसे अपने वन्य जीवन और महत्वपूर्ण पानी के नीचे के आवासों के कारण विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है।<br>• मई 2024 तक, विश्व भर में 162 होप स्पॉट लॉन्च किए गए हैं।<br>• अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह को 2013 में IUCN और मिशन ब्लू द्वारा "होप स्पॉट" के रूप में नामित किया गया है। |
| **वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and** | • वन्य पशुओं और पौधों की प्रजातियों में विश्वव्यापी वाणिज्यिक व्यापार को विनियमित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता।<br>• यह कन्वेंशन के राज्य पार्टियों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है, जो इसके लक्ष्यों को लागू करने के लिए अपने स्वयं के घरेलू कानून को अपनाने के लिए बाध्य हैं।<br>• इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से वन्य प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो।<br>• यह जुलाई 1975 में लागू हुआ।<br>• 184 पार्टियां हैं। भारत 1976 से CITES पार्टी रहा है। |

| | |
|---|---|
| **Flora-CITES)** | • इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।<br>• इसका सचिवालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।<br>• यह खतरे के आधार पर पौधों और पशुओं को तीन श्रेणियों या परिशिष्टों के अनुसार वर्गीकृत करता है। वे हैं:<br>  ○ परिशिष्ट I: यह उन प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है जो CITES-सूचीबद्ध पशुओं और पौधों में सबसे अधिक खतरे में हैं। उन्हें विलुप्त होने का खतरा है और CITES इन प्रजातियों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है, सिवाय इसके कि जब आयात का उद्देश्य वाणिज्यिक न हो, उदाहरण के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए।<br>  ○ परिशिष्ट II: इसमें उन प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें अब विलुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन जब तक व्यापार को बारीकी से नियंत्रित नहीं किया जाए, तब तक इन्हें खतरा हो सकता है।<br>  ○ परिशिष्ट III: यह उस पार्टी के अनुरोध पर शामिल प्रजातियों की एक सूची है जो पहले से ही प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करती है और जिसे अस्थिर या अवैध शोषण को रोकने के लिए अन्य देशों के सहयोग की आवश्यकता है। |
| **बॉन कन्वेंशन** | • आधिकारिक नाम: वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals-CMS)<br>• यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वावधान में एक अंतरसरकारी संधि है।<br>• यह वैश्विक स्तर पर वन्यजीवों और आवासों के संरक्षण से संबंधित है।<br>• इस पर 1979 में बॉन, पश्चिम जर्मनी में हस्ताक्षर किए गए और नवंबर 1983 में इसे लागू किया गया।<br>• सदस्यता: 133 पार्टियाँ। भारत 1983 से CMS का एक पार्टी रहा है।<br>• CMS एकमात्र वैश्विक और संयुक्त राष्ट्र-आधारित अंतरसरकारी संगठन है जिसे विशेष रूप से स्थलीय, जलीय और पक्षी प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया है।<br>• पार्टियों का सम्मेलन (Conference of the Parties-COP) कन्वेंशन का निर्णय लेने वाला निकाय है। |

| | |
|---|---|
| | • इसमें दो प्रकार की प्रजातियों का कवरेज है<br>◦ परिशिष्ट I - संकटग्रस्त प्रवासी प्रजातियाँ<br>◦ परिशिष्ट II - प्रवासी प्रजातियाँ जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है |
| **अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग** | • इसे व्हेल के प्रबंधन और संरक्षण के लिए जिम्मेदार वैश्विक निकाय के रूप में 1946 में स्थापित किया गया।<br>• यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसमें विश्व भर की 88 सरकारें सदस्य हैं।<br>• IWC का कानूनी फ्रेमवर्क व्हेलिंग के नियमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है।<br>• कन्वेंशन तीन अलग-अलग प्रकार की व्हेलिंग को मान्यता देता है: वाणिज्यिक, आदिवासी निर्वाह और विशेष परमिट (जिसे वैज्ञानिक भी कहा जाता है) व्हेलिंग। |
| **विश्व धरोहर कन्वेंशन** | • विश्व धरोहर कन्वेंशन को 1972 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation-UNESCO) द्वारा अपनाया गया था।<br>• यह कन्वेंशन 1975 में लागू हुआ।<br>• इसका उद्देश्य विश्व भर में उन धरोहरों की रक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है जो इतने उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य की हैं कि उनका संरक्षण वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है।<br>• वे राज्य जो कन्वेंशन के पक्षकार हैं, विश्व धरोहर संपत्तियों की पहचान, सुरक्षा, संरक्षण और प्रस्तुत करने के लिए सहमत हैं। राज्य मानते हैं कि उनके क्षेत्र में स्थित विरासत की पहचान और सुरक्षा मुख्य रूप से उनकी ज़िम्मेदारी है। वे अपनी विश्व धरोहर संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अपने संसाधनों से हर संभव प्रयास करने के लिए सहमत हैं।<br>• विश्व धरोहर स्थल UNESCO द्वारा घोषित किया जाता है।<br>• अप्रैल 2024 तक, 168 देशों में कुल 1,199 विश्व धरोहर स्थल (933 सांस्कृतिक, 227 प्राकृतिक और 39 मिश्रित सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्तियाँ) मौजूद हैं।<br>• भारत में कुल 42 UNESCO विश्व धरोहर स्थल हैं, जो इसे विश्व में सबसे अधिक धरोहर स्थलों के साथ छठा सबसे बड़ा देश बनाता है।<br>• भारत में इन 42 विश्व धरोहर स्थलों में से 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक |

| | |
|---|---|
| | स्थल हैं, जबकि उनमें से एक मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है - खंगचेंडज़ोंगा राष्ट्रीय उद्यान।<br>• नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांतिनिकेतन सितंबर 2023 में भारत में विश्व धरोहर स्थल घोषित होने वाला 41वां स्थल बन गया।<br>• UNESCO ने सितंबर 2023 में कर्नाटक में होयसला के पवित्र समूहों को भी सूची में शामिल किया। |
| **मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (United Nations Convention to Combat Desertification-UNCCD)** | • पर्यावरण और विकास को सतत भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता।<br>• यह राष्ट्रीय कार्रवाई कार्यक्रमों के माध्यम से मरुस्थलीकरण से निपटने और सूखे के प्रभावों को कम करने के लिए एक कन्वेंशन है जिसमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी व्यवस्था द्वारा समर्थित दीर्घकालिक रणनीतियों को शामिल किया गया है।<br>• कन्वेंशन शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों को संबोधित करता है, जिन्हें शुष्क भूमि के रूप में जाना जाता है, जहां कुछ सबसे सुभेद्य पारिस्थितिक तंत्र और लोग पाए जा सकते हैं।<br>• UNCCD मरुस्थलीकरण को "जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों सहित विभिन्न कारकों के परिणामस्वरूप शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों में भूमि क्षरण" के रूप में परिभाषित करता है।<br>• इसे जून 1994 में पेरिस, फ्रांस में अपनाया गया और दिसंबर 1996 में लागू हुआ।<br>• यह कन्वेंशन 1994 में रियो सम्मेलन के एजेंडा 21 की प्रत्यक्ष अनुशंसा से उत्पन्न हुआ।<br>• कन्वेंशन में 197 पार्टियाँ हैं, जिनमें 196 देश पार्टियाँ और यूरोपीय संघ शामिल हैं।<br>• स्थायी सचिवालय बॉन, जर्मनी में स्थित है। |
| **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (United Nations Framework Convention on Climate** | • UNFCCC अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सहयोग के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा और सिद्धांत निर्धारित करता है।<br>• इसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैस (GHG) सांद्रता को उस स्तर पर स्थिर करना है जो जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवजनित हस्तक्षेप को रोक सके।<br>• इसका मूल सचिवालय जिनेवा में था लेकिन 1996 में इसे बॉन (जर्मनी) में |

| | |
|---|---|
| **Change-UNFCCC), पेरिस समझौता, 2015** | स्थानांतरित कर दिया गया।<br>• पार्टियों का सम्मेलन (Conference of the Parties-COP) कन्वेंशन का "सर्वोच्च निकाय" है, यानी इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है।<br>• जिन 198 देशों ने कन्वेंशन की पुष्टि की है उन्हें कन्वेंशन के पार्टी कहा जाता है।<br>• UNFCCC जलवायु परिवर्तन से निपटने के संदर्भ में आम लेकिन विभेदित जिम्मेदारी और संबंधित क्षमताओं की केंद्रीयता पर जोर देता है।<br>• यह 2015 पेरिस समझौते की मूल संधि है।<br>**पेरिस समझौता**<br>• जलवायु परिवर्तन पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि।<br>• समझौते में सभी देशों द्वारा अपने उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अनुकूलित करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता शामिल है, और देशों से समय के साथ अपनी प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने का आह्वान किया गया है।<br>• इसे 12 दिसंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP21) में 196 पार्टियों द्वारा अपनाया गया था। यह 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ।<br>• इसका व्यापक लक्ष्य "वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना" और "पूर्व-औद्योगिक स्तरों से तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना" है। |
| **वियना कन्वेंशन** | • 1985 में वियना सम्मेलन ओजोन परत क्षरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था।<br>• यह कन्वेंशन 1988 में लागू हुआ।<br>• कन्वेंशन में CFCs और अन्य ODS (ओजोन क्षयकारी पदार्थ-Ozone Depleting Substances) के उपयोग के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी कटौती लक्ष्य शामिल नहीं थे। |
| **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल** | • ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वियना कन्वेंशन का एक प्रोटोकॉल है।<br>• यह विश्व भर में ODS को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत की रक्षा करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है।<br>• इस संधि को 1987 में सामने लाया गया और 1 जनवरी 1989 को इसे लागू |

| | |
|---|---|
| | किया गया।<br>• यह प्रोटोकॉल सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त करने वाली दुर्लभ संधियों में से एक है। भारत जून 1992 से ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पार्टी रहा है।<br>• पार्टियों की बैठक (Meeting of the Parties-MOP) संधि के लिए शासन निकाय है, जिसमें एक ओपन-एंडेड वर्किंग ग्रुप द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, जो दोनों वार्षिक आधार पर मिलते हैं।<br>• पार्टियों को ओजोन सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो केन्या के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुख्यालय पर आधारित है।<br>• विकासशील और विकसित देशों की समान लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन देशों के दोनों समूहों की बाध्यकारी, समय-लक्षित और मापने योग्य प्रतिबद्धताएँ हैं। |
| **CBD** | • जैविक विविधता पर कन्वेंशन या CBD (Convention on Biological Diversity) रियो डी जनेरियो में 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाए गए प्रमुख समझौतों में से एक है।<br>• यह 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ।<br>• यह प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में सबसे व्यापक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।<br>• इसमें सभी स्तरों पर जैव विविधता शामिल है: पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियाँ और आनुवंशिक संसाधन।<br>• इसकी कल्पना 3 मुख्य उद्देश्यों के साथ एजेंडा 21 के सिद्धांतों को वास्तविकता में अनुवाद करने के लिए एक व्यावहारिक उपकरण के रूप में की गई थी:<br>    ○ जैविक विविधता का संरक्षण.<br>    ○ जैविक विविधता के घटकों का सतत उपयोग।<br>    ○ आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा।<br>• कन्वेंशन में 196 पार्टियाँ हैं, जिनमें 195 राज्य और यूरोपीय संघ शामिल हैं।<br>• 18 फरवरी, 1994 को भारत इस सम्मेलन का पार्टी बन गया।<br>• जैविक विविधता पर कन्वेंशन का सचिवालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है। |
| **नागोया प्रोटोकॉल** | • पहुंच और लाभ साझाकरण (Access and Benefit Sharing-ABS) पर नागोया प्रोटोकॉल जैविक विविधता पर 1992 के कन्वेंशन का 2010 का |

| | |
|---|---|
| | एक पूरक समझौता है।<br>• यह आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच, लाभ-साझाकरण और अनुपालन के संबंध में उपाय करने के लिए अपने अनुबंध पार्टियों के लिए दायित्व निर्धारित करता है।<br>• प्रोटोकॉल 29 अक्टूबर 2010 को नागोया, जापान में अपनाया गया और 12 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ।<br>• यह CBD के तीन उद्देश्यों में से एक के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करता है: आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण।<br>• प्रोटोकॉल में CBD द्वारा कवर किए गए आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान और इसके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को भी शामिल किया गया है। |
| **कार्टाजेना प्रोटोकॉल** | • यह कानूनी रूप से बाध्यकारी, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो जैविक विविधता पर कन्वेंशन का पूरक है।<br>• प्रोटोकॉल देशों के बीच जीवित संशोधित जीवों (Living Modified Organisms-LMOs) की गतिविधियों का प्रबंधन करके जैविक विविधता की रक्षा करना चाहता है।<br>• इसे 29 जनवरी 2000 को CBD के पूरक समझौते के रूप में अपनाया गया और 11 सितंबर 2003 को लागू हुआ।<br>• यह पूर्व सूचित समझौते के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देशों के पास अपने क्षेत्र में LMOs के आयात के बारे में निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी हो।<br>• प्रोटोकॉल एक 'जीवित संशोधित जीव' को किसी भी जीवित जीव के रूप में परिभाषित करता है जो की आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से प्राप्त आनुवंशिक सामग्री का एक अनूठा संयोजन है। |
| **हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund-GCF)** | • GCF UNFCCC के वित्तीय तंत्र का हिस्सा है।<br>• इसके शासी उपकरण को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 2011 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP 17) में अपनाया गया था।<br>• इसका उद्देश्य विकासशील देशों में निम्न-कार्बन और जलवायु-लचीला विकास मार्गों की दिशा में आदर्श बदलाव का समर्थन करके पेरिस समझौते और इसके शमन और अनुकूलन लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक महत्वाकांक्षी योगदान देना है। |

| | |
|---|---|
| | • GCF का मुख्यालय इंचियोन, दक्षिण कोरिया में है।<br>• विश्व बैंक GCF के लिए ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। |
| **स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष (Clean Technology Fund-CTF)** | • CTF विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को सक्षम बनाता है।<br>• यह दीर्घकालिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन बचत के लिए महत्वपूर्ण क्षमता वाली निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने के लिए संसाधन प्रदान करता है।<br>• यह कोष फरवरी 2008 में प्रस्तावित किया गया था और 1 जुलाई 2008 से चालू किया गया।<br>• यह कोष नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा कार्यक्षमता और स्वच्छ परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है।<br>• विश्व बैंक (पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक) CTF के लिए ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। |
| **जलवायु संवेदनशील मंच (Climate Vulnerable Forum-CVF)** | • CVF गर्म होते ग्रह के प्रति अत्यधिक संवेदनशील देशों की एक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी है।<br>• फोरम वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भाग लेने वाली सरकारों के लिए एक दक्षिण-दक्षिण सहयोग मंच के रूप में कार्य करता है।<br>• अफ्रीका, एशिया, कैरेबियन, लैटिन अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र के 58 सदस्यों से बना, यह विश्व भर में लगभग 1.4 बिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है।<br>• इसकी स्थापना नवंबर 2009 में मालदीव द्वारा माले में 10 अन्य देशों के साथ मिलकर की गई थी।<br>• फोरम का नेतृत्व दो साल की सामान्य अवधि के लिए एक रोटेटिंग चेयर द्वारा किया जाता है, घाना वर्तमान में 2022-2024 की अवधि के लिए अध्यक्षता कर रहा है। |
| **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility-GEF)** | • GEF विश्व स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के लिए वित्तपोषण का प्राथमिक स्रोत है और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के सभी पहलुओं पर काम करने वाला एकमात्र बहुपक्षीय कोष है।<br>• इसकी स्थापना 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से पहले की गई थी।<br>• GEF असेंबली 186 सदस्य देशों या प्रतिभागियों (भारत सहित) से बनी है।<br>• GEF अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कन्वेंशन के उद्देश्यों को पूरा करने में |

| | |
|---|---|
| | विकासशील देशों की सहायता के लिए धन मुहैया कराता है।<br>• यह पाँच कन्वेंशन के लिए "वित्तीय तंत्र" के रूप में कार्य करता है, जो हैं:<br>  ○ जैविक विविधता पर कन्वेंशन (Convention on Biological Diversity-CBD),<br>  ○ जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC),<br>  ○ अनवरत जैविक प्रदूषक (POPs) पर स्टॉकहोम कन्वेंशन,<br>  ○ मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UN Convention to Combat Desertification-UNCCD), और<br>  ○ पारा पर मिनामाता कन्वेंशन।<br>• GEF पेरिस समझौते के वित्तीय तंत्र के हिस्से के रूप में भी कार्य करता है।<br>• इसका सचिवालय वाशिंगटन डी.सी. में स्थित है।<br>• विश्व बैंक GEF ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है, जो GEF ट्रस्ट फंड का प्रबंधन करता है।<br>• जून 2022 में, GEF के दानकर्ताओं ने इसके नवीनतम चार-वर्षीय पुनःपूर्ति चक्र के लिए रिकॉर्ड $5.33 बिलियन का समर्थन देने का वादा किया, जो जून 2026 तक रहेगा। |
| **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance-ISA** | • यह कर्क और मकर रेखा के बीच पूर्ण या आंशिक रूप से स्थित सूर्य-समृद्ध देशों के बीच सहयोग के लिए एक आम मंच है, जो सौर ऊर्जा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जिससे स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा प्रदान करते हुए वैश्विक ग्रीनहाउस उत्सर्जन वक्र को मोड़ने में मदद मिलेगी।<br>• ISA की कल्पना सौर ऊर्जा समाधानों की तैनाती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयास जुटाने के लिए भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी।<br>• इसकी संकल्पना 2015 में पेरिस में आयोजित UNFCCC के COP21 के मौके पर की गई थी।<br>• 2020 में इसके फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन के साथ, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अब ISA में शामिल होने के लिए पात्र हैं।<br>• वर्तमान में, 119 देश ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता हैं।<br>• ISA का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में है। |
| **बेसल कन्वेंशन** | • हानिकारक अपशिष्टों की सीमापार गतिविधियों के नियंत्रण और उनके |

| | |
|---|---|
| | निपटान पर बेसल कन्वेंशन, जिसे आमतौर पर बेसल कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है।<br>• राष्ट्रों के बीच हानिकारक अपशिष्ट के संचलन को कम करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जो विशेष रूप से विकसित से कम विकसित देशों में हानिकारक अपशिष्ट के हस्तांतरण को रोकने के लिए कार्य करती है।<br>• कन्वेंशन का उद्देश्य हानिकारक अपशिष्टों और अन्य अपशिष्टों के उत्पादन, सीमा पार संचलनों और प्रबंधन के परिणामस्वरूप होने वाले प्रतिकूल प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है।<br>• हालाँकि, यह रेडियोधर्मी अपशिष्ट की आवाजाही को संबोधित नहीं करता है।<br>• कन्वेंशन को 22 मार्च 1989 को हस्ताक्षर के लिए खोला गया और 5 मई 1992 को लागू हुआ।<br>• कन्वेंशन में 191 पार्टियाँ हैं।<br>• भारत बेसल कन्वेंशन का सदस्य है। इसने जून 1992 में कन्वेंशन की पुष्टि की।<br>• बेसल कन्वेंशन अपने पार्टियों को हानिकारक और अन्य अपशिष्ट का पर्यावरणीय दृष्टि से उचित तरीके से प्रबंधन और निपटान करने के लिए बाध्य करता है।<br>• पार्टियों का यह भी दायित्व है कि वे परिवहन की जाने वाली मात्रा को कम करें, अपशिष्ट का उनके उत्पादन के स्थान के जितना करीब हो सके उपचार और निपटान करें और स्रोत पर अपशिष्ट के उत्पादन को रोकें या कम करें। |
| **मिनामाटा कन्वेंशन** | • पारा पर मिनामाटा कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारा और उसके यौगिकों के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है।<br>• यह विशिष्ट मानवीय गतिविधियों को संबोधित करता है जो व्यापक पारा प्रदूषण में योगदान दे रही हैं।<br>• इसका नाम जापान की एक खाड़ी के नाम पर रखा गया है, जहां 20वीं सदी के मध्य में, पारा-युक्त औद्योगिक अपशिष्ट जल ने हजारों लोगों को विषक्त कर दिया था, जिससे स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हुआ था, जिसे "मिनमाटा रोग" के रूप में जाना जाता है।<br>• कन्वेंशन 10 अक्टूबर 2013 को अपनाया गया और 16 अगस्त 2017 को लागू हुआ।<br>• कन्वेंशन में 148 पार्टियाँ हैं।<br>• भारत ने जून 2018 में कन्वेंशन की पुष्टि की। |

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

| | |
|---|---|
| **रॉटरडैम कन्वेंशन** | • रॉटरडैम कन्वेंशन (औपचारिक रूप से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ हानिकारक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर रॉटरडैम कन्वेंशन) हानिकारक रसायनों के आयात के संबंध में साझा जिम्मेदारियों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुपक्षीय संधि है।<br>• कन्वेंशन सूचनाओं के खुले आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है और हानिकारक रसायनों के निर्यातकों से उचित लेबलिंग का उपयोग करने, सुरक्षित संचालन पर दिशानिर्देश शामिल करने और किसी भी ज्ञात प्रतिबंध या प्रतिबंध के बारे में खरीदारों को सूचित करने का आह्वान करता है।<br>• इसे 10 सितंबर 1998 को अपनाया गया और 24 फरवरी 2004 को लागू हुआ।<br>• कन्वेंशन में 166 पार्टियाँ हैं।<br>• भारत ने मई, 2005 में कन्वेंशन की पुष्टि की।<br>• कन्वेंशन पूर्व सूचित सहमति (Prior Informed Consent-PIC) प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व बनाता है।<br>• कन्वेंशन यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिबंधित हानिकारक रसायन उन देशों को निर्यात नहीं किए जाएं जो उन्हें प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। |
| **अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल** | • मैड्रिड प्रोटोकॉल के रूप में भी जाना जाता है, यह 4 अक्टूबर 1991 को मैड्रिड में हस्ताक्षरित अंटार्कटिक संधि का एक पूरक कानूनी साधन है।<br>• यह 14 जनवरी 1998 को लागू हुआ।<br>• मैड्रिड प्रोटोकॉल अंटार्कटिका को "शांति और विज्ञान के लिए समर्पित प्राकृतिक रिजर्व" के रूप में नामित करता है।<br>• भारत ने 19 अगस्त 1983 को अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए और इसके तुरंत बाद 12 सितंबर 1983 को सलाहकार दर्जा प्राप्त किया।<br>• भारत अंटार्कटिक संधि के 29 सलाहकार पार्टियों में से एक है।<br>• इसके उद्देश्य हैं:<br>    ○ अंटार्कटिका का विसैन्यीकरण करना, इसे परमाणु परीक्षणों और रेडियोधर्मी अपशिष्ट के निपटान से मुक्त क्षेत्र के रूप में स्थापित करना, और यह सुनिश्चित करना कि इसका उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए;<br>    ○ अंटार्कटिका में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना;<br>    ○ क्षेत्रीय संप्रभुता पर विवादों को दूर करना।<br>• संधि में पार्टियों की कुल संख्या 56 है। |

| | |
|---|---|
| **UN-REDD कार्यक्रम** | • UN-REDD कार्यक्रम विकासशील देशों में वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करने (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation-REDD+) पर संयुक्त राष्ट्र सहयोगात्मक कार्यक्रम है।<br>• कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व वाली REDD+ प्रक्रियाओं का समर्थन करता है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय REDD+ कार्यान्वियन में स्वदेशी लोगों और अन्य वन-निर्भर समुदायों सहित सभी हितधारकों की सूचित और सार्थक भागीदारी को बढ़ावा देता है।<br>• इस कार्यक्रम को 2008 में शुरू किया गया था और यह निम्नलिखित की संयोजक भूमिका और तकनीकी विशेषज्ञता पर आधारित है:<br>  ○ संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO),<br>  ○ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme-UNDP) और<br>  ○ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम।<br>• REDD+ UNFCCC के पार्टियों द्वारा विकसित एक जलवायु परिवर्तन शमन समाधान है।<br>• REDD+ वनों के संरक्षण और सतत प्रबंधन के माध्यम से वनों की कटाई को कम करता है और विकासशील देशों को उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं, जैसा कि उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों में दर्शाया गया है, को जमीनी स्तर पर कार्रवाई में बदलने में सहायता करता है। |

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR